

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक प.2(1)चिस्वा/2/2019

जयपुर, दिनांक :- 28/11/19

आदेश

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 3 के अन्तर्गत जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के कार्यालय का कार्यालयाध्यक्ष घोषित करते हुए आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियां एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. जिला कलेक्टर, जोधपुर
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प. क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन, जोधपुर
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर
7. कोषाधिकारी, जोधपुर
8. कम्प्यूटर सेल/निजी/रक्षित पत्रावली
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।



(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव